Australian Government
Department of Home Affairs

प्रोटेक्शन (संरक्षण) वीज़ा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

यह जानकारी अन्य भाषाओं में उपलब्ध है। Australia’s protection obligations (homeaffairs.gov.au) देखें।

प्रोटेक्शन (संरक्षण) वीज़ा

प्रोटेक्शन (संरक्षण) वीज़ा उन लोगों (या उनके परिवार के सदस्यों) के लिए होते हैं जिनके सामने, अपने देश वापस लौटने पर गंभीर हानि का वास्तविक ख़तरा है या जिनके ऊपर निम्नांकित आधारों पर मुक़दमा चलाए जाने की पूरी संभावना है:

- जाति
- धर्म
- राष्ट्रीयता
- किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या
- राजनैतिक धारणा।

जब आप प्रोटेक्शन (संरक्षण) वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं तो आप अपने गृहराष्ट्र से ऑस्ट्रेलिया में शरण माँग रहे होते हैं।

प्रोटेक्शन (संरक्षण) वीज़ा उन लोगों के लिए नहीं है जो बस काम करने के लिए लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहते हैं।

यदि आप प्रोटेक्शन (संरक्षण) वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं तो आप यह घोषणा करते हैं कि निम्नांकित में से एक या दोनों ही बातें सच है:

- आप गंभीर हानि या मुक़दमे का सामना करने की पूरी संभावना के वास्तविक ख़तरे के कारण वापस अपने देश नहीं जा सकते हैं; या
- आप किसी ऐसे व्यक्ति के परिवार के सदस्य हैं जिसने इस प्रकार के दावे (क्लेम) किए थे।

यदि आप ऐसे किसी अन्य देश में (आपके गृह राष्ट्र के अलावा) वैध रूप से प्रवेश कर सकते हैं और सुरक्षित रूप से रह सकते हैं, जहाँ आपको गंभीर हानि या मुक़दमे का सामना करने की पूरी संभावना का वास्तविक ख़तरा नहीं होगा, तथा वह देश आपको किसी ऐसे देश में वापस नहीं भेजेगा जहाँ आपको गंभीर हानि या मुक़दमे का सामना करने की पूरी संभावना का वास्तविक ख़तरा होगा, तो आपको प्रोटेक्शन (संरक्षण) वीज़ा प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि आपको ऑस्ट्रेलिया में शरण की वास्तव में ज़रूरत है तो ही आप प्रोटेक्शन (संरक्षण) वीज़ा के लिए आवेदन करें।

अन्य प्रकार के ऐसे वीज़ा हो सकते हैं जो आपके और आपकी परिस्थिति के लिए ज़्यादा अनुकूल हों। Explore visa options (homeaffairs.gov.au) पर अन्य प्रकार के वीज़ाओं के बारे में अधिक जानें।

अगर प्रोटेक्शन (संरक्षण) वीज़ा का आपका आवेदन-पत्र अस्वीकार हो जाता है तो क्या होता है?

अगर आपको प्रोटेक्शन (संरक्षण) वीज़ा देने से इंकार कर दिया जाता है, तो आप अन्य प्रकार के वीज़ाओं में से अधिकाँश के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं और अगर आपके पास एक वैध वीज़ा नहीं है तो आपको ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जाना होगा। यदि आपके पास एक वैध वीज़ा नहीं है, तो आपको हिरासत में लिया जा सकता है और ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकाला जा सकता है।

यदि आपको हिरासत में लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया से निकाला गया है, तो हो सकता है कि आपको निकाले जाने के खर्चे के पैसे आपको लौटाने पड़ें। यह राशि हज़ारों डॉलर्स की हो सकती है।

प्रोटेक्शन (संरक्षण) वीज़ा के अस्वीकृत आवेदन का रिकॉर्ड, आपके ईमीग्रेशन रिकॉर्ड में हमेशा दर्ज रहेगा। इससे आपके या आपके परिवार के सदस्यों के लिए भविष्य में ऑस्ट्रेलिया आना मुश्किल भी हो सकता है। प्रोटेक्शन (संरक्षण) वीज़ा प्रदान करने से इंकार किए जाने का भविष्य में ऑस्ट्रेलिया के अलावा अन्य देशों के लिए आपके आवेदन पर असर पड़ सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं।

प्रोटेक्शन (संरक्षण) की माँग (क्लेम) करते समय आपकी ज़िम्मेदारियाँ

गृह मामले विभाग द्वारा कोई निर्णय लिए जाने से पहले, प्रोटेक्शन (संरक्षण) के लिए अपनी माँग (क्लेम) का विवरण और सहायक प्रमाण विभाग के सामने प्रस्तुत करना आपके ऊपर पर निर्भर करता है।

यह ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से यह स्पष्ट करें कि आपको ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेक्शन (संरक्षण) की ज़रूरत क्यों है और आप जल्दी से जल्दी इस विभाग को संपूर्ण और सटीक जानकारी प्रदान करें।

प्रोटेक्शन वीज़ा के आवेदन को जमा करवाते समय, यह सुनिश्चित करना आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही और सटीक है, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए आवेदन-पत्र को भरे और जमा करवाए तो भी।

आप किस चीज़ के लिए आवेदन कर रहे हैं और आवेदन में कौनसी जानकारी प्रदान की जा रही है यह समझे बिना आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति को आपके लिए प्रोटेक्शन वीज़ा का आवेदन नहीं करने देना चाहिए।

यह सुनिश्चित करना आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप सही प्रकार के वीज़ा के लिए आवेदन करें और अपने वीज़ा की शर्तों का पालन करें, चाहे आप इस काम को एक ऑस्ट्रेलियाई पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट या किसी ऑस्ट्रेलियाई वक़ील के माध्यम से कर रहे हों तो भी।

पंजीकृत माइग्रेशन एजेंटों की एक सूची गृह मामले विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। माइग्रेशन ऐजेंट चुनने के लिए स्टेप्स (mara.gov.au) का पालन करें।

झूठी माँगों (क्लेम्स) के लिए दंड

प्रोटेक्शन (संरक्षण) वीज़ा के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को औपचारिक रूप से घोषणा (डिक्लेरेशन) करना आवश्यक है।

ग़लत या भ्रमित करने वाली जानकारी देना ऑस्ट्रेलिया में एक गंभीर अपराध है और आपको आपराधिक दंड का सामना करना पड़ सकता है।

ग़लत या भ्रमित करने वाली जानकारी प्रदान करने वाले व्यक्ति को विशाल जुर्मानों, 10 साल की जेल या दोनों दंडों का सामना करना पड़ सकता है।

आपको वीज़ा प्रदान किए जाने के बाद यदि यह पता लगता है कि आपने झूठी या भ्रमित करने वाली जानकारी दी थी, तो आपका प्रोटेक्शन (संरक्षण) वीज़ा रद्द कर दिया जाएगा।

मुफ़्त क़ानूनी सलाह उपलब्ध है

इससे पहले कि आप प्रोटेक्शन वीज़ा के लिए आवेदन करें, आपको अपने राज्य या टेरीटोरी में शरणार्थी और ईमीग्रेशन के विशेषज्ञ क़ानूनी सलाह प्रदाताओं से free legal advice माँगने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है।

ये प्रदाता निम्नांकित के बारे में आपकी सहायता कर सकते हैं:

- यह पता लगाने में कि क्या आप प्रोटेक्शन वीजा के लिए पात्र हैं या किसी दूसरे ज़्यादा उपयुक्त वीज़ा के लिए
- आवेदन की प्रक्रिया को समझने में
- प्रोटेक्शन वीज़ा का आवेदन अस्वीकृत हो जाने के प्रभावों को समझने में
- यदि ज़रूरत हो, तो प्रोटेक्शन वीज़ा के लिए आवेदन-पत्र भरकर जमा करवाने में।

आप अपने राज्य या टेरीटोरी में किसी लीगल ऐड (legal aid) से या किसी सामुदायिक क़ानूनी सहायता केन्द्र से भी मुफ्त क़ानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।